COURT FEE Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

Noted 11/10/12
V.y.
C.F. 11/012

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक: /2012
प्रस्तुती दिनांक: .09.2012

मानननीय न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प इन्दौर के समक्ष

R- 3398-PBR/12

शांताबाई पिता वेस्ता पति मेधु,
जाति – भील, निवासी – होलातलाई,
तहसील – सरदारपुर, जिला – धार (म.प्र.) --- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. मानसिंह पिता वेस्ता, जाति – भील,
2. रमेश पिता वेस्ता, जाति – भील,

दोनो निवासी – गुमानपुरा, मजरा – पटरूण्डी,
तहसील – सरदारपुर, जिला – धार (म.प्र.) --- प्रत्यर्थीगण

श्री विजय नागपाल अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-9-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत।
25-9-12
25-9-12

पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्र सरदारपुर, जिला धार के द्वारा राजस्व प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 40/2011–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2012 के द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध ।

माननीय न्यायालय की सेवा में यह पुनरीक्षण आवेदन, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त उल्लेखित आलोच्य आदेश से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत है :–

15.7.2014	आवेदक की ओर से पुकार उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदकगण की ओर से श्री एस० के० सोनी अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.